भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3549
गुरुवार, 10 अगस्त 2023/ 19 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई यातायात आवागमन प्रबंधन प्रणाली

3549. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विगत चार वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और उनके विमानपत्तन अनुभव में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) देशभर में सीमित हवाई क्षेत्र के भीतर विमानों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित करने के लिए आईसीएओ द्वारा निर्धारित हवाई यातायात आवागमन प्रबंधन प्रणाली (एटीएफएम) और कम पृथक्करण मानकों (आरएसएस) के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क): सरकार ने हवाईअड्डे पर यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे मौजूदा टर्मिनलों में ढांचागत परिवर्तनों के माध्यम से क्षमता में वृद्धि, सामान की जांच के लिए अतिरिक्त एक्स-रे मशीनों की स्थापना और कमीशनिंग, इनलाइन बैगेज सुविधा और सेल्फ-बैगेज ड्रॉप सुविधा, सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल), एयरलाइनों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती, स्लॉट आवंटन का प्रबंधन, उड़ानों की अधिक संख्या (बंचिंग) से बचने के लिए एयरलाइनों के साथ समन्वय आदि। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए सहज और निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए सरकार ने चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बायोमेट्रिक-आधारित यात्रा हेतु ''डिजी यात्रा'' शुरू की है। पहले चरण में, डिजी यात्रा, दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाईअड्डों पर शुरू की गई है;

(ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने क्षमता संबंधी बाधाओं के बीच हवाई अड्डे, हवाई क्षेत्र और विमान के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की वैश्विक योजना के अनुरूप, अप्रैल 2017 में केंद्रीकृत वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन (सी-एटीएफएम) को अपनाया है। प्रारंभिक चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के साथ-साथ अन्य हवाईअड्डों पर अप्रत्याशित क्षमता बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चरण-II में हवाई क्षेत्र में प्रवाह प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार किया और हितधारक जागरूकता के लिए सी-एटीएफएम वेबसाइट को शामिल किया गया। डेटा के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, गुवाहाटी और अहमदाबाद से सी-एटीएफएम और एयरपोर्ट सहयोगात्मक नीति निर्धारण (ए-सीडीएम) सिस्टम को एकीकृत किया गया है।

देश में निम्नलिखित आवर्धित पृथक्करण मानक (आरएसएस) लागू किए गए हैं:

1. मार्ग में हवाई क्षेत्र में 10 मिनट और 15 मिनट के समय-आधारित अलगाव के स्थान पर 10 नॉटिकल माइल (एनएम) का निगरानी आधारित पृथक्करण; और टर्मिनल हवाई क्षेत्र में 5 एनएम और 3 एनएम निगरानी-आधारित पृथक्करण।

2. दो आरएनपी10 (अपेक्षित दिक्चालन निष्पादन) से सुसज्जित विमानों के बीच 50 एनएम का क्षैतिज पृथक्करण कम किया गया, और

3. दो निकटवर्ती हवाई यातायात सेवा (एटीएस) इकाइयों के बीच समझौते के पत्र (एलओए) के आधार पर, दो विमानों के बीच 20एनएम या 30एनएम का पृथक्करण भी अभ्यास में है।

*****